

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग।

फौजदारी वाद संख्या 326 / 2026

राज्य बनाम प्रवीण कुमार।

(09) दिनांक 03.07.2026:- आज यह पत्रावली अभियुक्त की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, कार्यालय से तलब की गयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त प्रवीण कुमार मय विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम भट्ट न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्मस्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, जुर्म इकबाल किया गया है। अतः जुर्म इकबाल बयान के आधार पर अभियुक्त को मोटर यान अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत ₹100/- (एक सौ रुपये) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त एक दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या **4061/UHC/IT/XXXI/E-PAY/20224** Dated: 01.07.2025 के अनुपालन अभियुक्त की ओर से e-Pay Online System के माध्यम से Online Transaction Id **510306387829** Dated 03.07.2026 द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि ₹100/- (एक सौ रुपये) जमा की गयी। Transaction Id की प्रति अभियुक्त को प्रदान की गयी।

वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज, यदि कोई हों, अभियुक्त को वापस किये जाएं। तदनुसार पत्रावली निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(अशोक कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रुद्रप्रयाग।